

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री भोलाराम, दीपचन्द पुत्रान पोखर जाति गुर्जर निवासी छपर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 580/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1132


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम छपर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 36 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "दीपाराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "दीपचन्द पुत्र पोखर" एवं "भोलुराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "भोलाराम पुत्र पोखर" एवं "गणपत पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गणपत पुत्र पोखर" एवं "रूडाराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रूडाराम पुत्र पोखर" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजनीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्री भोलाराम, दीपचन्द पुत्रान पोखर जाति गुर्जर निवासी छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 580 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 36 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "दीपाराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "दीपचन्द पुत्र पोखर" एवं "भोलुराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "भोलाराम पुत्र पोखर" एवं "गणपत पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गणपत पुत्र पोखर" एवं "रूडाराम पुत्र पोखरराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रूडाराम पुत्र पोखर" दुरुस्ती किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....
...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसद मर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी को गई।



दस्तखत.....
ओईस.....

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।